न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
154 / 24	25 / 06 / 24	09 / 02 / 26

// उनवान //

1. जलेसिंह
2. धर्मसिंह
3. भूपसिंह पुत्रान श्री छीतर
4. राजेश पुत्र श्री रामसिंह
5. संजय पुत्र श्री रामसिंह
6. सन्ता पुत्री छीतर
7. सविता पुत्री श्री रामसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. जीतराम पुत्र श्री छीतर
2. बलवान
3. प्रेमपाल पुत्रान श्री मातादीन
4. कमला पत्नी मातादीन
5. राजपाल
6. धर्मपाल पुत्रान श्री हरिसिंह
7. धूंधा पत्नी श्री हरिसिंह
8. दीपेन्द्र पुत्र श्री बलबीर
9. बिरमा देवी पत्नी बलबीर
10. कमल पुत्र श्री जलेसिंह
11. विमला पत्नी जलेसिंह
12. रतीराम पुत्र श्री चिरंजीलाल
13. भगवानी पत्नी चिरंजीलाल
14. राजेश
15. दीपक पुत्रान श्री होशियार
16. बनवारी पुत्र श्री सवाई जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।
17. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री नीरज यादव वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय दिनांक :– 09/02/2026

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

1. यह है कि आराजी हाल ख० नं० 133/0.37 हैक0, 139/0.15 हैक0, 146/0.21 हैक0, 477/0.16 हैक, 48/0.25 हैक0, 539/0.37 हैक0, 55/0.01 हैक0, 56/0.12 हैक0, 595/0.20 हैक0, 603/0.39 हैक०, 729/0.27 हैक0, 866/0.14 हैक0, 870/0.49 हैक०, वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।

2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। वादीगण आराजी मुतनाजा के मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण की खानदानी आराजी है जिस पर अपने पूर्वजो के समय से नसलन दर नसलन काबिज होकर काश्त कार्य शांति पूर्वक व निरन्तर करते आ रहे है। मौके पर वादीगण अपने सालिम रकबे पर काबिज है वादीगण के पूर्वज व वादीगण पेशे से काश्तकार है काश्त कार्य ही आजीविका का मुख्य श्रोत रहा है। इसलिये आराजी वादीगण के खुदकाश्त एवं खातेदारी की रही है और वादीगण ही आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा से दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही कभी किसी दीगर व्यक्तियों का आराजी पर वादीगण की मर्जी के खिलाफ कब्जा रहा है।

3. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं वादीगण मौके पर काबिज है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राजात कर रखे है जिन व्यक्तियों के नाम शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज कर रखे है उक्त व्यक्ति अर्सा दराज करीब कोई 40 साल पूर्व तो कोई 55–60 साल पूर्व फौत हो चुके है। लेकिन इसके बावजूद भी मृतक व्यक्तियों की आराजी पर काश्त करने के इन्द्राजात राजस्व रिकोर्ड में अंकित कर रखे है। आराजी मुतनाजा में वादीगण के पिता छीतर पुत्र हीरालाल का नाम भी आराजी के राजस्व रिकोर्ड में शिकमी साल 9.5 दर्ज कर रखा है। छीतर पुत्र मोहकम को फौत हुये बहुत अर्सा हो गया है इसी प्रकार सवाई पुत्र तोताराम को फौत हुये बहुत समय हो चुका है इसलिये वाद में सवाई पुत्र तोताराम के स्थान पर उक्त सवाई के वारिस बनवारीलाल को व छीतर पुत्र मोहकम की फौतगी के कारण उसके वारिसान प्रतिवादी सं० 1 ल0 16 को वाद में प्रतिवादी की जद में पक्षकार बनाया गया है। राजस्व रिकोर्ड हाल में परवतो देवी पत्नी छीतर का नाम अंकित है लेकिन परवतो देवी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान वादीगण है। राजस्व रिकोर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राज रहने से परवतो देवी की विरासत दर्ज नहीं हो पा रही है। राजस्व रिकोर्ड में शिकमी व बकाश्त के इन्द्राजात बेजा, पौशिदा तौर पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कर रखे है जो हर सूरत में काबिल कलमजन किये जाने योग्य है।

4. यह है कि आराजी मुतनाजा के खाता सं० हाल 70 में वादीगण व वादीगण की माता परवतो पत्नी छीतर के नाम के आगे शिकमी व बकाश्त के रूप में दीगर व्यक्तियों के नाम व वादीगण के पिता छीतर पुत्र हीरालाल का नाम गलत रूप से दर्ज कर रखा है। आराजी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मुतनाजा वादीगण की खातेदारी में छीतर पुत्र हीरालाल की विरासत से दर्ज हुयी है उसके पश्चात भी वादीगण के पिता को शिकमी के रूप में गलत अंकन कर रखा है।

5. यह है आराजी मुतनाजा में वादीगण के नाम खातेदार के साथ साथ दीगर व्यक्तियों के शिकमी व बकाश्त के रूप में नाम का अंकन कर रखा है जबकि उक्त शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों व उनके वारिसान का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही कभी कब्जा रहा है। इसलिये राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के कारण वादीगण आराजी मुतनाजा में विरासत दर्ज कराने विक्रय करने, क्रेडिट कार्ड बनवाने जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे है इसलिये आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को वादीगण मुस्तहक है। आराजी मुतनाजा हाल ख० नं0 133/0.37 हैक0, 139/0.15 हैक0, 146/0.21 हैक0, 477/0.16 हैक0, 48/0.25 हैक0, 539/0.37 हैक0, 55/0.01 हैक0, 56/0.12 हैक0, 595/0.20 हैक0, 603/0.39 हैक0, 729/0.27 हैक0, 866/0.14 हैक0, 870/0.49 हैक0, वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादीगण व परवतो देवी पत्नी छीतर के नाम के साथ जुडे शब्द साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे गलत इन्द्राज "अ०विव० छीतर पुत्र मोहकम ख० नं० हाल 55, 56 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 छीतर पुत्र हीरालाल शिकमी साल 9.5 उपरोक्त ख० नं० 513 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल सं0 2032 ख० नं० हाल 687 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी सं0 2032" के इन्द्राजात को कलमजन किये जाकर राजस्व रिकोर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं० 17 को सादिर फरमाये जावे।
6. यह है कि आराजी मुतनाजा में हो रहे गलत इन्द्राजात की जानकारी अब दिनांक 05.06.2024 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकोर्ड देखने पर हुई कि कुछ आराजी सडक निर्माण के लिये अवाप्त कर ली गयी है जिसके मुआवजा राशि के लिये फाईल तैयार कराने के लिये राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई है। इसके पश्चात वादीगण ने प्रतिवादी सं० 17 से राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त कराने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी सं० 17 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहते हुये राजस्व रिकोर्ड दुरूस्त कराने से मना कर दिया इसलिये दावा पेश करना लाजिमी आया है।
7. यह है कि आराजी मुतनाजा में हो रहे गलत इन्द्राजात की जानकारी अब दिनांक 05.06.2024 को पटवारी हल्का से राजस्व रिकोर्ड देखने पर हुयी कि कुछ आराजी सडक निर्माण के लिये अवाप्त कर ली गयी है जिसके मुआवजा राशि के लिये फाईल तैयार कराने के लिये राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुयी है। इसके पश्चात वादीगण ने प्रतिवादी सं० 17 से राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्त कराने के लिये निवेदन किया तो प्रतिवादी सं० 17 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहते हुये राजस्व रिकोर्ड दुरुस्त कराने से मना कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।
8. यह है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं० 17 के खिलाफ दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस के अभाव में ही दावा दायर किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80(2) जाप्ता दिवानी अलग से संलग्न वाद है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

9. यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है, सुनने योग्य है।
10. यह है कि दावा हाजा पर दो रूपयें कोर्ट फीस चस्पा है।
11. अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमायी जावे।
(अ) यह है कि डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस आश्य की फरमायी जावे कि आराजी मुतनाजा हाल ख० नं0 133/0.37 हैक0, 139/0.15 हैक0, 146/0.21 हैक0, 477/0.16 हैक0, 48/0.25 हैक0, 539/0.37 हैक0, 55/0.01 हैक0, 56/0.12 हैक0, 595/0.20 हैक०, 603/0.39 हैक0, 729/0.27 हैक0, 866/0.14 हैक0, 870/0.49 हैक०, वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादीगण व परवतो देवी पत्नी छीतर के नाम के साथ जुडे शब्द साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे गलत इन्द्राज "अ०विव० छीतर पुत्र मोहकम ख०नं० हाल 55, 56 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 छीतर पुत्र हीरालाल शिकमी साल 9.5 उपरोक्त ख० नं० 513 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल सं0 2032 ख० नं० हाल 687 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी सं0 2032" के इन्द्राजात को कलमजन किये जाकर राजस्व रिकोर्ड को इस प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं० 17 को सादिर फरमाये जावे।
(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 की तरफ से अधिवक्ता श्री नीरज यादव ने ईकबाल जवाव दावा पेश किया गया एवं जवाब ईकबाल में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 17 की तरफ से बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः प्रतिवादी संख्या 17 का जवाब बन्द किया गया है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1, जलेसिंह पुत्र छीतर पीडब्लयू–2 जसवन्त पुत्र टेकचन्द , पीडब्लयू–3 धर्मसिंह पुत्र जग्गलराम साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2078 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी एवं प्रतिवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया आराजी हाल ख० नं० 133/0.37 हैक0, 139/0.15 हैक0, 146/0.21 हैक0, 477/0.16 हैक, 48/0.25 हैक0, 539/0.37 हैक0, 55/0.01 हैक0, 56/0.12 हैक0, 595/0.20 हैक0, 603/0.39 हैक०, 729/0.27 हैक0, 866/0.14 हैक0, 870/0.49 हैक०, वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। वादीगण आराजी मुतनाजा के मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण की खानदानी आराजी है जिस पर अपने पूर्वजो के समय से नसलन दर नसलन काबिज होकर काश्त कार्य शांति पूर्वक व निरन्तर करते आ रहे है। मौके पर वादीगण अपने सालिम रकबे पर काबिज है वादीगण के पूर्वज व वादीगण पेशे से काश्तकार है काश्त कार्य ही आजीविका का मुख्य श्रोत रहा है। इसलिये आराजी वादीगण के खुदकाश्त एवं खातेदारी की रही है और वादीगण ही आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा से दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही कभी किसी दीगर व्यक्तियों का आराजी पर वादीगण की मर्जी के खिलाफ कब्जा रहा है।यह है आराजी मुतनाजा में वादीगण के नाम खातेदार के साथ साथ दीगर व्यक्तियों के शिकमी व बकाश्त के रूप में नाम का अंकन कर रखा है जबकि उक्त शिकमी व बकाश्त के रूप में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

व उनके वारिसान का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना ही कभी कब्जा रहा है। इसलिये राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज के कारण वादीगण आराजी मुतनाजा में विरासत दर्ज कराने विक्रय करने, क्रेडिट कार्ड बनवाने जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे है इसलिये आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को वादीगण मुस्तहक है। आराजी मुतनाजा हाल ख० नं0 133/0.37 हैक0, 139/0.15 हैक0, 146/0.21 हैक0, 477/0.16 हैक0, 48/0.25 हैक0, 539/0.37 हैक0, 55/0.01 हैक0, 56/0.12 हैक0, 595/0.20 हैक0, 603/0.39 हैक0, 729/0.27 हैक0, 866/0.14 हैक0, 870/0.49 हैक0, वाके ग्राम नगंली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादीगण व परवतो देवी पत्नी छीतर के नाम के साथ जुडे शब्द साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे गलत इन्द्राज "अ०विव० छीतर पुत्र मोहकम ख० नं० हाल 55, 56 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 छीतर पुत्र हीरालाल शिकमी साल 9.5 उपरोक्त ख० नं० 513 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी साल सं0 2032 ख० नं० हाल 687 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी सं0 2032" के इन्द्राजात को कलमजन किये जाकर राजस्व रिकोर्ड को इसी प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे। के अंकन को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जावें तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल में वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ–पत्र बयान गवाह तथा ईकबाल जवाब दावा का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर हाल आराजी खसरा नम्बर 133/0.37 हैक0, 139/0.15 हैक0, 146/0.21 हैक0, 477/0.16 हैक0, 48/0.25 हैक0, 539/0.37 हैक0, 55/0.01 हैक0, 56/0.12 हैक0, 595/0.20 हैक०, 603/0.39 हैक0, 729/0.27 हैक0, 866/0.14 हैक0, 870/0.49 हैक०, वाके ग्राम नगंली औझा में वादीगण एवं परबतो पत्नि छीतर के नाम के साथ जुडे शब्द साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज **"अ0विव0 छीतर पुत्र मोहकम ख0 नं0 हाल 55, 56 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 छीतर पुत्र हीरालाल शिकमी साल 9.5 उपरोक्ता ख0 नं0 513 सवाई पुत्र तोताराम जाट सा0 देह शिकमी साल सं0 2032 ख0 नं0 हाल 687 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी सं0 2032"** को **कलमजन** किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **09.02.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा
मुण्डावर (खैरथल–तिजा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
154 / 24	25 / 06 / 24	09 / 02 / 26

//उनवान//

1. जलेसिंह
2. धर्मसिंह
3. भूपसिंह पुत्रान श्री छीतर
4. राजेश पुत्र श्री रामसिंह
5. संजय पुत्र श्री रामसिंह
6. सन्ता पुत्री छीतर
7. सविता पुत्री श्री रामसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. जीतराम पुत्र श्री छीतर
2. बलवान
3. प्रेमपाल पुत्रान श्री मातादीन
4. कमला पत्नी मातादीन
5. राजपाल
6. धर्मपाल पुत्रान श्री हरिसिंह
7. धूंधा पत्नी श्री हरिसिंह
8. दीपेन्द्र पुत्र श्री बलबीर
9. बिरमा देवी पत्नी बलबीर
10. कमल पुत्र श्री जलेसिंह
11. विमला पत्नी जलेसिंह
12. रतीराम पुत्र श्री चिरंजीलाल
13. भगवानी पत्नी चिरंजीलाल
14. राजेश
15. दीपक पुत्रान श्री होशियार
16. बनवारी पुत्र श्री सवाई जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।
17. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट** एवं प्रतिवादीगण की ओर से **नीरज यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में दिनांक 09.02.2026 को **श्री सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निर्णय हुआ है। पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

हाल आराजी खसरा नम्बर 133/0.37 हैक्0, 139/0.15 हैक्0, 146/0.21 हैक्0, 477/0.16 हैक्0, 48/0.25 हैक्0, 539/0.37 हैक्0, 55/0.01 हैक्0, 56/0.12 हैक्0, 595/0.20 हैक्0, 603/0.39 हैक्0, 729/0.27 हैक्0, 866/0.14 हैक्0, 870/0.49 हैक्0, वाके ग्राम नगंली औझा में वादीगण एवं परबतो पत्नि छीतर के नाम के साथ जुडे शब्द साकिन देह खातेदार के बाद हो रहे इन्द्राज **"अ0विव0 छीतर पुत्र मोहकम ख0 नं0 हाल 55, 56 जाट साकिन देह शिकमी साल 9.5 छीतर पुत्र हीरालाल शिकमी साल 9.5 उपरोक्त ख0 नं0 513 सवाई पुत्र तोताराम जाट सा0 देह शिकमी साल सं0 2032 ख0 नं0 हाल 687 सवाई पुत्र तोताराम जाट साकिन देह शिकमी सं0 2032"** को **कलमजन** किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **09.02.2026** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner